(100)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल महोदय ग्वालियर (म0प्र0)

नि0 प्रकरण क्रमांक R-2752-III/14 सन् ....

1. राजाराम तनय श्री लटोरा पटेल
2. दुलीचन्द्र तनय लटोरा पटेल
3. मनसुख तनय लटोरा पटेल
4. रामकृपाल तनय लटोरा पटेल
5. हरगोविन्द तनय श्री बुडकीनाथ पटेल
6. काशीप्रसाद तनय बुडकीनाथ पटेल
7. राकेश तनय बुडकीनाथ पटेल

समस्त निवासीगण ग्राम खजवा (भौरयनपुरवा)
तहसील राजनगर
जिला छतरपुर (म0प्र0) ------आवेदकगण /निगरानीकर्तागण

बनाम

पुनियाबाई पुत्री गौरीशंकर (मुन्नीलाल) पत्नी नथुवा पटेल
निवासी ग्राम पाय तहसील राजनगर
जिला छतरपुर (म0प्र0)-----------अनावेकदक / गैरनिगरानीकर्ता

<u>निगरानी विरूद्ध प्रकरण क्रमांक 111/अपील/2012-13 न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजनगर, जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.2014 से परिवेदित होकर ।</u>

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-रा0 संहिता 1959।</u>

मान्यवर,

निगरानीकर्तागण निम्न लिखित निगरानी प्रस्तुत करते है :-

निगरानी के तथ्य

निगरानी का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि प्रकरण क्रं0 37/अ-6/2012-13 न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय राजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2013 जिसमें मृतक खातेदार मुन्नीलाल तनय दरौवा पटेल की भूमि खसरा नं0 183/1 रकवा 1.897 में हिस्सा 1/2 एवं भूमि खसरा नं0 539/1, 540, 541, 542/1, 542/2, 543, 544, 545, 762,

क्रमशः//2//

राजाराम

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. निग. 2752 III / 14 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-9-16	1– आवेदक के अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित तथा अनावेदक की ओर से अधिवक्ता नितेन्द्र सिंघई उपस्थित उभयपक्षों के तर्क श्रवण किए गये। मैंने प्रकरण का आवलोकन किया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 111 / अपील / 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 30.07.2014 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि तहसीलदार राजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2013 से जिसमें मृतक खातेदार मुन्नीलाल तनय दरौवा पटेल की भूमि ख.नं. 183 / 1 का 1 / 2 रकवा 0.948 हे0 एवं भूमि ख.नं. 539 / 1, 540, 541, 542 / 1 542 / 2, 543, 544, 545, 762, 763, 3089, 3090, 3091, 3092 कुल किता 14 रकवा 1.718 हे0 की वसीयत मृतक खातेदार मुन्नीलाल द्वारा आवेदकगणों के पक्ष में लेख की गई थी जो वसीयतकर्ता के भतीजे थे वसीयतकर्ता लाऔलाद फौत हुए थे इसी आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत प्रकिया के तहत नामांतरण आदेश दिनांक 30.06.13 को पारित किया था जिसके विरूद्ध अवधिवधित अपील बिना किसी अधिकारिता के अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत की गई है। जिसकी उसे अधिकारिता न होने से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.06.2014 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क किया है मुन्नीलाल तनय दरौआ पटेल लाऔलाद फौत हुआ है जिसके प्रमाण में सरपंच ग्राम पंचायत खजवा द्वारा प्रमाणीकरण प्रस्तुत किया गया है जिसमें पुनियाबाई गौरीशंकर पटेल निवासी कंदेली की पुत्री होना और गौरीशंकर की पत्नी गंगियाबाई होने का उल्लेख किया गया हैं गौरीशंकर के स्वर्गवास हो जाने पर पुनियाबाई ने अपने परिवार की सम्मपत्ति छोड़ने का उल्लेख किया है मुन्नीलाल एवं गंगिया की कोई संतान न होने का उल्लेख किया है तथा मुन्नीलाल लाऔलाद फौत होने से विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत आदेश पारित करते हुए नामांतरण आदेश पारित किया था। जिसके विरूद्ध अनुविभागीय	

[कृ. प. उ.

R-2752. [illegible]/14 ([illegible])

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अधिकारी के समक्ष आवेदिका द्वारा प्रस्तुत अपील में उसे हितवत पक्षकार एवं मुन्नीलाल की पुत्री मान्य करते हुए विधि विरूद्ध रूप से अपील समय सीमा में मान्य की है जबकि अनावेदिका पुनियाबाई को पारित आदेश की ज़ानकारी पूर्व से ही रही है बंटवारा प्रकरण में भी अनावेदिका आवश्यक पक्षकार थी इस कारण प्रश्नगत आदेश निरस्त करते हुए तहसीलदार राजगनर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.03.2013 स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया है। 4— अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि सम्मत आदेश पारित करते हुए अनावेदिका जो गौरिशंकर की वैद्य उत्तराधिकारी होने के आधार पर प्रकरण समय सीमा में मान्य किया है। प्रकरण अभी विचाराधीन है जिसका निराकरण किया जाना है इस कारण इसी स्तर पर निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है। 5— उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया। प्रकरण में सरपंच ग्राम पंचायत खजवा के पंचनामा एवं प्रस्तुत सिंजरा के आधार पर आवेदक मुन्नीलाल को लाऔलाद होना पाया जाता है अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में पुनियाबाई पुत्री मुन्नीलाल का लेख होने के आधार पर उसे पुत्री मान्य करते हुए प्रश्नगत आदेश के तहत उसे हितवत पक्षकार मान्य किया है। जबकि विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से निष्पादित वसीयत के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही करते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया है। अनावेदिका द्वारा इसी भूमि के संबंध में पूर्व में भी बंटवारा की कार्यवाही हेतु वाद दायर किया था ऐसी स्थिति में उसे पारित आदेश की जानकारी होने के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है अतएव अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदिका को समय वधित अपील में जानकारी एवं आवश्यक पक्षकार मान्य किया जाना न्यायसंगत नहीं पाता हूँ। 6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दि. 30/07/14 निरस्त करते हुए विचारण न्याया. द्वारा पारित आदेश दि. 30.03.13 स्थिर रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख वापिस किए जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	